

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पंजीकरण आवेदन प्रपत्र

1.	Applicant Personal Information/ आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी	
	Family JanAadhaar Card Number/ परिवार जनाधार कार्ड संख्या	:
	Aadhaar Card Number/ आधार कार्ड संख्या	:
	Applicant Name/ आवेदक का नाम	:
	Father Name/पिता का नाम	:
	Spouse Name/ पति/पत्नी का नाम	:
	Gender/ लिंग	:
	Date of Birth/ जन्म दिनांक	:
	Religion/ धर्म	:
	Annual Income (INR)/ वार्षिक आय	:
	Mobile No./ मोबाइल नंबर	:
2.	Address/ पता	
	House/Building/Apartment/घर/बिल्डिंग/अपार्टमेंट Area/ Locality/ Sector/ एरिया/ मोहल्ला/ सेक्टर Gram Panchayat/Ward Number/ ग्राम पंचायत/वार्ड Post Office/डाक खाना Pin Code/पिन कोड Panchayat Samiti/ब्लॉक/पंचायत समिति Tehsil/ तहसील District/ जिला	:
3.	Daughter Information/ पुत्री की जानकारी	
	Aadhar Number/ आधार कार्ड नंबर	:
	Name/ नाम	:
	Date of Birth/ जन्म दिनांक	:
	Benefit Category/ लाभान्वित की श्रेणी	:
	Marriage Date/ शादी की तिथि	:
	Educational Qualification/ शैक्षणिक स्तर	:
4.	Groom Information/ दुलहे की जानकारी	
	Name/ नाम	:
	Date of Birth/ जन्म दिनांक	:
	Father Name/पिता का नाम	:
	Educational Qualification/ शैक्षणिक स्तर	:

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर मय नाम

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

आवश्यक दस्तावेज:-

1. मूल निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड की फोटो प्रति।
2. बैंक खाता संख्या व पासबुक फोटो प्रति
3. आधार कार्ड और भागाशाह कार्ड
4. विवाह प्रमाण पत्र
5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र
7. शपथ पत्र
8. वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र
9. विवाह योग्य कन्या के माता-पिता की मृत्यु होने पर माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
10. विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/विधवा पेंशन योजना (पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति।
11. बी.पी.एल. कार्ड/अन्तोदय कार्ड/आस्था कार्ड/विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र/पालनहार योजना/स्वयं खिलाडी प्रमाण पत्र
12. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के विवाह के प्रकरण में-
(अ) विधवा महिला/संरक्षक का 50,000/- रुपये से अधिक वार्षिक आय नहीं होने का प्रमाण पत्र।
(ब) परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला सदस्य नहीं होने का दस्तावेज / राशन कार्ड की प्रति।
13. पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों की विवाह योग्य बालिकाओं के विवाह पर पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
14. महिला खिलाडियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदक विशेष योग्यजन व्यक्ति को 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्तता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

sjms portal पर ऑनलाईन आवेदन पत्र ई-मित्र कयोस्क एवं स्वयं की एसएसओ आईडी से भरना है।